

न्यायालय: श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय, अतिरिक्त मुख्य
न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड़, जिला बड़वानी (म0प्र0)

आपराधिक प्रकरण क्रमांक 400 / 2009
संस्थान दिनांक 30.10.2009

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र, अंजड़
जिला-बड़वानी म0प्र0

-----अभियोगी

विरुद्ध

1. अशोक पिता सूरजमल लुक्कड़, आयु 61 वर्ष,
2. संतोष पिता सूरजमल लुक्कड़, आयु 59 वर्ष,
दोनों निवासीगण- अंजड़, तहसील अंजड़
जिला-बड़वानी म.प्र.

-----अभियुक्तगण

// निर्णय //

(आज दिनांक 29.04.2015 को घोषित)

1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 105/2009 अंतर्गत 304-ए, 337, 288 भा.द.सं. में दिनांक 30.11.2009 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्तों के विरुद्ध दिनांक 04.06.2009 को सोसाड़ नदी के किनारे पर स्थित अपने खेत के कुएँ में कार्य करने हेतु मजदूरों को नियोजित करने, और उनकी सुरक्षा का बंदोबस्त करने में उपेक्षापूर्ण आचरण करने जिसके परिणाम स्वरूप कुएँ में कार्य करते समय कुएँ पर बनी सीमेंट की दीवार और उसकी मिट्टी ढह जाने से मजदूर छगन को उपहतियों कारित होने तथा मजदूरगण सोनू और भय्यू की ऐसी मृत्यु कारित होने, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है, के संबंध में अभियुक्तों पर धारा 228, 337, 304-ए (2 शीर्ष) भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।

2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि पुलिस ने अभियुक्तों को गिरफ्तार किया था। यह तथ्य भी स्वीकृत है कि जिस कुएँ में दुर्घटना हुई थी, वह कुआँ अभियुक्तों का था तथा उस भूमि के स्वामी अभियुक्त और उनके परिवार वाले हैं।

3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि घटना दिनांक 04.06.2009 को सुसाड़ नदी के किनारे अभियुक्तगण के खेत पर बने हुए पर नन्नू भय्यू , सोनू एवं छगन कुँ में काम कर रहे थे। कुँ पर बनी दीवार ढह जाने से भय्यू एवं सोनू कुँ के अंदर गिर कर उनकी मृत्यु हो गई और छगन घायल हो गया जिसे ईलाज के लिए अस्पताल भेजा गया। इस घटना की सूचना नन्नू पिता बाबु ने थाना अंजड़ पर दी जहाँ पर मार्ग क्रमांक 1 एवं 2/09 दर्ज कर मृतकों के शव कुँ की मिट्टी हटाकर निकालकर शव को परीक्षण हेतु भेजे गये तथा मार्ग की जाँच के दौरान यह पाया गया कि अभियुक्तों ने मृतकों तथा घायल छगन को अपने खेत के कुँ में कार्य करने के लिए उपेक्षापूर्ण तरीके से नियोजित किया जिससे कुँ की सीमेंट की दीवार एवं मिट्टी ढह जाने से भय्यू एवं सोनू की मृत्यु हुई तथा छगन को चोटें कारित हुई। अतः अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध क्रमांक 105/2009 अंतर्गत धारा 337, 304—ए भा.द.सं. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रथम सूचना प्रतिवेदन प्रदर्शपी 17 लेखबद्ध की तथा अभियुक्तों के विरुद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र अंतर्गत धारा 304—ए, 337, 288 भा.द.सं. के न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

4. अभियोगपत्र के आधार पर मेरे पूर्व के योग्य पीठासीन अधिकारी श्री महेश कुमार सैनी, तत्कालीन न्यायिक मजिस्ट्रेट, प्रथम श्रेणी, अंजड़ द्वारा अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 228, 337, 304—ए भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विवरण विरचित कर अभियुक्तों को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्तों ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्तों ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है

5. प्रकरण में विचारणीय प्रश्न निम्नलिखित है कि —

1. क्या अभियुक्तों ने दिनांक 04.06.2009 को सोसाड़ नदी के किनारे पर स्थित अपने खेत के कुँ में मजदूरों की सुरक्षा का बंदोबस्त करने में उपेक्षापूर्ण आचरण किया जिसके परिणाम स्वरूप कुँ में कार्य करते समय कुँ पर बनी सीमेंट की दीवार और उसकी मिट्टी ढह जाने से मजदूर छगन को उपहतियाँ कारित हुई ?

2. क्या अभियुक्तों ने उक्त दिनांक, समय व स्थान पर मजदूरों की सुरक्षा का बंदोबस्त करने में उपेक्षापूर्ण आचरण किया जिसके परिणाम स्वरूप कुँ में कार्य करते समय कुँ पर बनी सीमेंट की दीवार और उसकी मिट्टी ढह जाने से मजदूरगण सोनू और भय्यू की ऐसी मृत्यु कारित की, जो आपराधिक मानव वध की कोटि में नहीं आती है ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में साक्षी नन्नू (अ.सा.1), राधु (अ.सा.2), बंशीलाल (अ.सा.3), कार्तिक चौहान (अ.सा.4), राकेश (अ.सा.5), भय्यू पिता बाबू (अ.सा.6), छगन (अ.सा.7), डॉ. जे.पी. पंडित (अ.सा.8), दयाराम (अ.सा.9), ओमप्रकाश (अ.सा.10), आरक्षक श्रीकांत (अ.सा.11), आकाश लुंकड़ (अ.सा.12), रमेश (अ.सा.13), डॉ. प्रदीप कुमार पोड़वाल (अ.सा.14), नेहरूलाल शर्मा (अ.सा.15) एवं जगरामसिंह कुशवाह (अ.सा.16) के कथन कराये गये हैं, जबकि अभियुक्तों की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार विचारणीय प्रश्न क्रमांक 1 और 2 के संबंध में

7. प्रकरण में आई साक्ष्य को दृष्टिगत रखते हुए उक्त दोनों विचारणीय प्रश्न परस्पर सहसंबंधित होने से उक्त दोनों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है। इस संबंध में नन्नू अ.सा. 1 का कथन है कि सोनू एवं भय्यू उनके सगे भाई थे, उनकी मृत्यु लगभग 1 वर्ष पूर्व हुई थी। अभियुक्त अशोक का खेत सुसाड़ के पास में है, वहाँ वे कुएँ में काम कर रहे थे। वे चार लोग ऊपर थे तथा छगन कुएँ के अंदर था। उसके साथ भय्यू सोनू एवं राहुल ऊपर थे तभी कुएँ की दीवार गिर गई और पूरा कुआँ एक साथ धंस गया तो उसके भाई सोनू एवं भय्यू कुएँ में गिर गये तथा वह तथा राधु कुआँ छोड़कर भाग गये। अंदर छगन था, उसे थोड़ी सी लगी थी उसे कुएँ से निकाला तथा उनके भाईयों को कुएँ से निकालने के लिए दो दिन तथा दो रात लग गये थे। पुलिस ने उनकी लाश निकाली थी तथा उससे पहचान करवाई तथा पंचनामा बनवाया था। लाशों को शव परीक्षण के लिए भेजा था। पुलिस ने कुएँ, का पानी, दीवार के टुकड़े एवं मिट्टी के नमूने जप्त किये थे। दीवार पक्की थी तथा सीमेंट की टंकी थी, जो दीवार से दूर थी। वे लोग कुएँ पर काम कर रहे थे तो उनके बचाव के लिए कोई साधन नहीं था। कुएँ पर काम करने के लिए अभियुक्त अशोक ने बुलया था। दीवार कैसे गिरी और क्यों गिरी वह नहीं बता सकता है। अभियोजन की ओर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने पुलिस को प्रदर्शपी 1 में ए से ए भाग बताना स्वीकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि कुएँ से मिट्टी निकालने एवं पाईप डालने का काम वह कई वर्षों से करते आ रहे हैं। कई जगहों में कच्चे कुएँ में भी वे काम करते थे। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि वे जब पाईप उतार रहे थे तब रस्सी का सहारा था, उस समय बहुत दूर कोई धमाका हुआ था, उस धमाके से जमीन काप गई और इस कारण कुएँ की दीवार ढह गई थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि धमाके की आवाज सुनकर वे दोड़कर भागे और कुएँ के पास खड़े उसके भाई चपेट में आ गये। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि घटना धमाके के कारण अचानक हुई थी। उसमें अभियुक्तों की कोई लापरवाही नहीं थी। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि कुएँ की दीवार और आसपास की जमीन पक्की है। दीवार एकदम से धंस नहीं सकती एवं एकदम से गिर नहीं सकती है। साक्षी ने यह स्वीकार किया कि धमाके के कारण हादसा हुआ था।

8. राधु अ.सा. 2, बंशीलाल अ.सा. 3, कार्तिक चौहान अ.सा. 4, छगन अ.सा. 7 ने भी उन्हें भी कुएँ पर काम करने के दौरान कुएँ की दीवार गिर जाने से सोनू एवं भय्यू के कुएँ में गिरने से मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर राधु अ.सा. 2 ने स्वीकार किया कि वे लोग अभियुक्तों के कुएँ पर 8 दिन से मिट्टी निकालने का कार्य कर रहे थे और उन्हें अभियुक्तों ने लगाया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि घटना वाले दिन अभियुक्त संतोष के कहने पर छगन कुएँ के अंदर ले गया था, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि दुर्घटना अभियुक्तों की गलती के कारण हुई थी अथवा अभियुक्तों ने उन्हें सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं कराये थे। बंशीलाल अ.सा. 3 ने अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि कुएँ के मालिकों द्वारा उनसे उपेक्षापूर्ण तरीके से कार्य कराया गया था, जिस कारण कुएँ की दीवार गिर गई थी। कार्तिक अ.सा. 4 ने भी अभियोजन के इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्तों की लापरवाही के कारण कुआँ धंस गया था अथवा अभियुक्तों ने मजदूरों को सुरक्षा के साधन उपलब्ध नहीं करवाये थे। छगन अ.सा. 7 ने भी इस सुझाव से इंकार किया कि घटना के समय अभियुक्तों ने उसे मजदूरी पर रखा था अथवा अभियुक्तों की लापरवाही के कारण दुर्घटना हुई थी। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को दिये गये कथनों में भी उक्त बातें बताने से स्पष्ट इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में उक्त सभी साक्षियों ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि कहीं दूर हुए धमाके के कारण कुएँ की दीवार अचानक धंस गई और उसमें मृतक कुएँ के अंदर गिर गये।

9. राकेश अ.सा. 5, भय्यू पिता बाबू अ.सा. 6 ने भी कुएँ में गिरने से भय्यू एवं सोनू की मृत्यु होने के संबंध में कथन किये हैं। उक्त साक्षियों ने प्रदर्शपी 5 से 7 पर अपने हस्ताक्षर भी स्वीकार किये हैं। उक्त साक्षियों को भी पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर अभियोजन के समस्त सुझावों से इंकार किया है। यहाँ तक कि पुलिस को प्रदर्शपी 8 और 10 का कथन देने से भी इंकार किया है। बचाव पक्ष की ओर से पूछे गये प्रश्नों में साक्षी ने स्वीकार किया कि उन्होंने प्रदर्शपी 5 से 7 के पंचनामों को हस्ताक्षर करने के पूर्व पढ़ा नहीं था। दयाराम अ.सा. 9 सोनू एवं भय्यू की लाश का पंचनामा प्रदर्शपी 5 से 7 अपने सामने पुलिस द्वारा बनाना स्वीकार किया है।

10. ओमप्रकाश अ.सा. 10 का कथन है कि वह स्कूल के पास नल पर कपड़े धोने गया था तभी अभियुक्त अशोक के खेत में कुएँ की मिट्टी धंस जाने पर वे लोग घटनास्थल पर गये थे। कुएँ में एक बुजुर्ग व्यक्ति एवं उसके रिश्तेदार भय्यू एवं सोनू काम कर रहे थे। कुआँ धंसने से वे कुएँ के अंदर दब गये थे। घटना में भय्यू एवं सोनू की मृत्यु हो गई। अभियुक्तों का कुआँ ऊपर से पक्का बना हुआ है। कुआँ बनाते समय माल में कमी होने से वह कमजोर बना था, इस कारण कुआँ धंस गया था। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि वह घटनास्थल से 200 फीट की दूरी

पर था। जब वह घटनास्थल पर पहुँचा, तब बहुत भीड़ हो गई थी। साक्षी ने स्वीकार किया कि घटना के समय अभियुक्तगण उपस्थित नहीं थे लेकिन घटना के बाद आ गये थे। साक्षी ने स्वीकार किया कि कुओं धंसने के पहले आवाज हुई थी वह आवाज कहा से हुई थी उसे नहीं मालूम, लेकिन साक्षी ने पुलिस कथन प्रदर्शनी 1 में अभियुक्तों द्वारा मृतकों से कुँ के सामने बैठकर काम कराने की बात बताने से इंकार किया है।

11. आरक्षक श्रीकांत अ.सा. 11 ने दिनांक 06.06.2009 को थाना अंजड़ में आरक्षक के पद पर पदस्थ होने और अभियुक्त अशोक के खेत में बना कुआँ धंसने से दो व्यक्ति की मृत्यु होने के संबंध में प्रदर्शनी 14 के मार्ग सूचना थाने पर देने के संबंध में कथन किये हैं। आकाश अ.सा. 12, रमेश अ.सा. 13 ने अभियुक्तों को पुलिस द्वारा गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये हैं।

12. डॉ. प्रदीप कुमार पोडवाल अ.सा. 14 ने दिनांक 04.06.2009 में जिला चिकित्सालय बड़वानी में आहत छगन पिता अमरसिंह को कुँ में गिर जाने से चोटें आने के कारण मेडिकल परीक्षण के लिए आने के संबंध में साक्ष्य दी है। साक्षी का यह भी कथन है कि आहत को फटा हुआ घाव सिर के बायें हिस्से में हड्डी की गहराई तक होना, दूसरा घाव फटा हुआ घाव सिर के दाहिने ओर होना, तीसरा घाव बायीं कोहनी पर और उसकी नाक पर चोट होना पाई थी। आहत को ईलाज के लिए पुरुष सर्जिकल वार्ड में भर्ती कर दिया गया था। उक्त चोटें सख्त अथवा बोथरी वस्तु से साधारण प्रकृति की होकर 6 घंटे के भीतर की थी। साक्षी ने उसका मेडिकल परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शनी 15 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उक्त चोट कुँ में टकराने से आ सकती है।

13. डॉ.जे.पी. पंडित अ.सा. 8 ने दिनांक 06.06.2009 को प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र अंजड़ में आरक्षक महेन्द्र द्वारा लाने पर मृतक सोनू पिता बाबु तथा भययू पिता बाबु के शवों का परीक्षण करने के संबंध में कथन किये हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उक्त दोनों व्यक्ति की मृत्यु दबने से आई चोटें और अस्थि भंग के कारण 48 से 72 घंटे के भीतर हुई थी। साक्षी ने उसका शव परीक्षण प्रतिवेदन प्रदर्शनी 12 एवं 13 भी प्रमाणित किया है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि दब जाने के कारण उक्त चोटें आना संभव है।

14. नेहरूलाल शर्मा अ.सा. 15 का कथन है कि दिनांक 06.06.2009 को पटवारी हल्का नम्बर 2 अंजड़ में पटवारी के पद पर पदस्थ था तथा तहसीलदार अंजड़ द्वारा निर्देशित करने पर सर्वे क्रमांक 259/1 रकबा 4.678 हेक्टेयर पाचशाला खसरा वर्ष 2008-09 का प्रदर्शनी 16 का जारी किया था जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि

उक्त भूमि के स्वामी अभियुक्तगण एवं उनके परिवारजन के सदस्य थे तथा घटनास्थल का पंचनामा गिरधावर श्री चौहान द्वारा बनाया गया था, जिसकी फोटोप्रति प्रकरण में संलग्न है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव को स्वीकार किया कि पंचनामों में कुएँ की दीवार धंसने के कारण का उल्लेख नहीं किया है।

15. जगरामसिंह कुशवाह अ.सा. 16 का कथन है कि दिनांक 06.06.2009 को थाना अंजड़ में सूचना प्राप्त हुई थी कि सुसाड़ नदी के किनारे अंजड़ में अशोक लुक्कड़ के खेत पर काम कर रहे मजदूर छगन, भय्यू एवं सोनू कुएँ में दब गये थे, जिसमें छगन को कुएँ से निकालकर बड़वानी अस्पताल भेजा तथा दो मजदूर भय्यू और सोनू सीमेंट की दीवार ढह जाने से दब गये थे, इस कारण उनके शव दिनांक 04.06.2009 से दिनांक 06.06.2009 तक पोखलेन मशीन से निकाले गये। मृतकों की पहचान उनके परिवारजनों ने की। जाँच के आधार पर उसने यह पाया कि अभियुक्तों ने मजदूरों को पर्याप्त सुरक्षा से कुएँ में नहीं उतारा था, इसी लापरवाही के कारण उनकी मृत्यु हुई थी। अतः अपराध क्रमांक 105/2009 प्रदर्शपी 17 का उसने दर्ज किया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने भय्यू और सोनू के मर्ग सूचना प्रदर्शपी 14 की दर्ज की थी। नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 12 का बनाया तथा पहचान पंचनामा प्रदर्शपी 9 का बनाया तथा लाश निकालने का पंचनामा प्रदर्शपी 18 का बनाया जिनके ए से ए भागों पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षी का यह भी कथन है कि उसने सोनू एवं भय्यू की लाश का सफीना फार्म, लाश का पंचायतनामा प्रदर्शपी 5 से 7 का बनाया था जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। उसने अशोक लुक्कड़ के घटनास्थल के कुएँ का पानी का नमूना, कुएँ की टूटी दीवार के सीमेंट के टुकड़े एवं और भराव की गई मिट्टी को जप्त किया था, जिसका पंचनामा प्रदर्शपी 19 एवं 20 है जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर हैं। साक्षियों के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये थे तथा घटनास्थल के स्वामित्व के संबंध में तहसील कार्यालय अंजड़ से जानकारी प्राप्त की थी, जो प्रदर्शपी 21 और 16 है।

16. बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि मृतक के परिवार की ओर से प्रथम सूचना दर्ज नहीं कराई गई है। साक्षी ने यह भी स्वीकार किया कि मर्ग जाँच के द्वारा उसके द्वारा लेखबद्ध किये गये कथन अभियोग पत्र में संलग्न नहीं हैं, लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षी नन्नू, और राधु और बंशीलाल, कार्तिक, पप्पु, राकेश, ओमप्रकाश और छगन के कथन उसने मन से लेखबद्ध किये थे अथवा उसने किसी साक्षी के कथन नहीं लिये थे। लेकिन साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसने अभियुक्तों के विरुद्ध असत्य प्रकरण बनाया है।

17. ऐसी स्थिति में जबकि घटना के समय घटनास्थल पर काम कर रहे मृतकों के रिश्तेदार राधु, भय्यू ने इस संबंध में कोई भी कथन नहीं किया है कि अभियुक्तगण द्वारा खेत के कुएँ में कार्य करने के लिए आहत छगन और मृतक सोनू एवं भय्यू को बिना सुरक्षा का साधन प्रदान किये हुए नियोजित किया। उक्त साक्षियों का यह भी कथन नहीं है कि अभियुक्तों के उपेक्षापूर्ण आचरण के कारण कुएँ की दीवार टूट जाने के कारण छगन को उपहति कारित हुई तथा सोनू एवं भय्यू की मृत्यु ऐसी परिस्थितियों में कारित हुई जो आपराधिक मानव वध की श्रेणी में नहीं आती है। यहाँ तक कि आहत छगन असा 7 का स्पष्ट कथन है कि जब वह कुएँ में नीचे उतरा तब एक जोरदार धमाका हुआ था और उक्त धमाके से जमीन काप गई, इस कारण कुएँ की दीवार घस गई। अभियोजन के शेष चश्मदीद साक्षियों ने पास में धमाका होने के कारण कुएँ की दीवार घंसने के संबंध में कथन किये हैं तथा बचाव पक्ष के इस अभिवाक् का कोई भी खण्डन या स्पष्टीकरण अभियोजन की ओर से नहीं हुआ है। ऐसी स्थिति में अभियुक्तों का यह बचाव सम्भावित प्रतीत होता है कि पास में धमाका होने से जमीन के हिलने से कुएँ की दीवार घंस गई थी और इस कारण उक्त दुर्घटना घटित हुई।

18. उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्तगण अशोक लुक्कड़ एवं संतोष लुक्कड़ के विरुद्ध निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित दोनों विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नहीं पाये जाते हैं। अतएव अभियुक्तों को संदेह का लाभ देते हुए धारा 228, 337, 304-ए (2 शीर्ष) भा.द.स. के अपराधों से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।

19. प्रकरण में जप्तशुदा कुएँ की मिट्टी, पानी और उक्त दीवार का मटेरियल मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किया जाये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित
एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी

(श्रीमती वन्दना राज पाण्डेय)
अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट
अंजड़, जिला बडवानी